



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50396-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 28285 वर्ष 2025

महेश चन्द्र वर्मा तथा 4 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: संजीव कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: जी.ए., प्रवीण कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. द्वारा आज न्यायालय में प्रति-हलफनामा दाखिल किया गया, जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. प्रारंभ में ही, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण किया जा चुका है तथा याचिकाकर्तागण के विरुद्ध आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है।
4. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके तथा उन्होंने यह निवेदन किया कि वे इस रिट याचिका का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं और इसे वापस लेने की अनुमति चाहते हैं, साथ ही उपयुक्त चरण पर उपयुक्त मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता भी प्रार्थित की।
5. उपर्युक्त कथन के दृष्टिगत, यह रिट याचिका उक्त स्वतंत्रता के साथ **वापस ली गई** मानते हुए **निरस्त** की जाती है।

दिनांक : 11 मार्च 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आशीष/-

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।